समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | **Monday, 21 September 2026**

ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले मे पांच आरोपी न्यायिक हिरासत मे भेजे गए, कोर्ट ने सुरक्षा पर जताई चिंता

Sanket Morankar
Published on 15 Oct 2025

लोकप्रिय गायक **ज़ुबीन गर्ग** की रहस्यमयी मौत के मामले में असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए **पांच आरोपियों** को बुधवार को **न्यायिक हिरासत** में भेज दिया गया। कोर्ट ने यह निर्णय उनकी **पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त** होने के बाद लिया।

इन पांचों आरोपियों को अब **बकसा जिला जेल (मशालपुर)** में रखा जाएगा। अदालत ने **उनकी सुरक्षा को ध्यान मे रंखते हुए** आदेश दिया कि उन्हें ऐसी जेल में स्थानांतरित किया जाए जहाँ कैदियों की संख्या कम हो।

इन पांच आरोपियों में शामिल हैं:

1. **श्यामकानु महंता (Shyamkanu Mahanta)** — नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के आयोजक
2. **सिद्धार्थ शर्मा (Siddharth Sharma)** — ज़ुबीन गर्ग के मैनेजर
3. **संदीपन गर्ग (Sandipan Garg)** — असम पुलिस के डीएसपी और ज़ुबीन के रिश्तेदार
4. **नंदेश्वर बोरा (Nandeswar Bora)** — ज़ुबीन का निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO)
5. **प्रवीन बैश्य (Prabin Baishya)** — दूसरा PSO

असम पुलिस ने बताया कि इन सभी के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, जिनमें शामिल हैं **वित्तीय लेन-देन**, **फोन रिकॉर्ड**, और **घटना से जुड़े गवाहों के बयान**।

गुवाहाटी की सत्र न्यायालय ने पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि:

- उन्हें **कम भीड़ वाली जेल** में रखा जाए, ताकि **उनकी सुरक्षा** सुनिश्चित हो सके।
- पुलिस ने अदालत को बताया कि **इन व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आरोप** हैं, और जांच अभी भी चल रही है।
- कोई भी आरोपी **अभी तक जमानत याचिका** के लिए कोर्ट में नहीं गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले कदम के तहत SIT द्वारा **तीन महीने के भीतर चार्जशीट** दायर की जाएगी।

गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत **सितंबर 2025 मे सिंगापुर** में हुई थी, जब वे एक निजी यॉट पार्टी के दौरान समुद्र में डूब गए। वे **North East India Festival (NEIF)** में हिस्सा लेने वहाँ गए थे।

शुरुआती जांच में यह सामने आया कि यॉट पर मौजूद कुछ लोगों की भूमिका संदेहास्पद थी। इसके बाद ज़ुबीन की पत्नी और परिवार ने **हत्या की आशंका** जताई और असम सरकार से न्याय की मांग की।

- असम सरकार ने **विशेष जांच दल (SIT)** का गठन किया
- सिंगापुर सरकार से **मेडिकल रिपोर्ट और फुटेज** मंगवाए गए
- आरोपियों के खिलाफ **धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, लापरवाही से मौत** जैसी धाराएँ लगाई गई हैं
- जांच एजेंसियों ने ज़ुबीन गर्ग के **वित्तीय ट्रांजैक्शन्स** की भी जांच शुरू की है
- **7 अक्टूबर** को DSP Sandipan Garg को गिरफ्तार किया गया
- **8 अक्टूबर** को दोनों PSO गिरफ्तार हुए
- **10 अक्टूबर** को मैनेजर और आयोजक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया
- **15 अक्टूबर** को पांचों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
- **चार्जशीट** नवंबर के अंत तक दाखिल होने की उम्मीद

ज़ुबीन गर्ग के प्रशंसक और असम के नागरिक इस केस की निष्पक्ष जांच की माँग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर **#JusticeForZubeen** ट्रेंड कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री **हिमंता बिस्वा सरमा** ने कहा है कि "किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।"

ज़ुबीन गर्ग की मौत केवल एक कलाकार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह एक **संवेदनशील और विवादित मामला** बन चुका है, जो अब अंतरराष्ट्रीय कानूनी और राजनीतिक चर्चा का विषय भी है। न्यायिक प्रक्रिया अपने मार्ग पर है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि **चार्जशीट मे क्या सामने आता है** और अदालत किस दिशा में फैसला लेती है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.